

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एवं शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्योपरान्त उनके आश्रित द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को जमा करने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता	शस्त्र अनुज्ञप्ति सं० एवं धारित शस्त्र का प्रकार	आवेदक का नाम एवं समर्पित कागजात	आर्म्स जमा का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	श्री तेज कुमार गुप्ता, पिता-स्व० निर्मल चन्द्र गुप्ता, साकिन-विश्वनाथगंज, वार्ड नं०-7, थाना+जिला-खगड़िया	अनुज्ञप्ति सं०-01/79 (खगड़िया थाना) गन नं०-13880	तेज कुमार गुप्ता, अनुज्ञप्ति पुस्तिका की छायाप्रति	खगड़िया थाना के मालखाना में जमा करने हेतु	बराबर बिमार रहने तथा वृद्ध हो जाने के कारण
02.	श्री प्रहलाद लाल, पिता-स्व० सीताराम लाल रस्तोगी, साकिन-एस०डी०ओ० रोड, खगड़िया	अनुज्ञप्ति सं०-7/95, (खगड़िया थाना), बन्दुक सं०-5675 B/8.12 बोर	प्रहलाद लाल, डीलक्स आर्म्स कॉ० आर्म्स एण्ड अनुमोशन डीलर, विश्वनाथगंज, शिवाला रोड, खगड़िया में जमा की छायाप्रति।	खगड़िया थाना के माल खाना में जमा करने हेतु	बराबर बिमार रहने तथा वृद्ध हो जाने के कारण
03	आनन्द कुमार नारनोलिया, पिता नथमल लाल नारनोलिया साकिन-पी० गोमरी जमालपुर, जिला-खगड़िया	अनुज्ञप्ति सं०- 16/85 (गोमरी थाना) बन्दुक सं०-4608-D/2	आनन्द कुमार नारनोलिया, अनुज्ञप्ति पुस्तिका की छायाप्रति	गोमरी थाना के माल खाना में जमा करने हेतु	इच्छा से प्रत्यार्पण हेतु आवेदन
04.	शंभू शरण सिंह, पिता-स्व० राजाराम सिंह, ग्राम-छोराही, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया	अनुज्ञप्ति सं०-03/1981 (बेलदौर थाना) गन नं०-7, 12 बोर	शंभू शरण सिंह, अनुज्ञप्ति पुस्तिका की छायाप्रति	बेलदौर थाना के माल खाना में जमा करने हेतु	इच्छा से प्रत्यार्पण हेतु आवेदन
05	अनिल कुमार सिंह, पै०-स्व० भुपेन्द्र सिंह, प्रधान सहायक, विधि शाखा, खगड़िया वर्तमान-सबीदा कर्मी, अनुमंडल निर्वाचन खगड़िया	अनु० सं०-17/1987, (खगड़िया थाना) बन्दुक नं०-3/6 6367 -Y-85 4458	अनिल कुमार सिंह, अनुज्ञप्ति पुस्तिका की छायाप्रति	खगड़िया थाना मालखाना में जमा हेतु	इच्छा से प्रत्यार्पण हेतु आवेदन
06	स्व० रमेश प्रसाद साह, पिता-स्व० सूर्य नारायण साह, सा०-विधाधार, थाना+जिला-खगड़िया	अनु० सं०-04/2005, (खगड़िया थाना), पिस्टल नं०-- RP-135552	रत्नेश कुमार, पिता-स्व० रमेश प्रसाद साह, साकिन-मील रोड, मार्शल गली, खगड़िया शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।	डीलक्स आर्म्स कॉ० आर्म्स एण्ड अनुमोशन डीलर, विश्वनाथगंज, शिवाला रोड, खगड़िया	मृत्यु दिनांक 03 12 2017

उपर्युक्त अभ्यावेदनों के आलोक में क्रमशः शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 1/79 (खगडिया थाना), 7/95, (खगडिया थाना), 16/65 (गोगरी थाना), 03/1981 (बेलदौर थाना), 17/1987, (खगडिया थाना) एवं 04/2005, (खगडिया थाना) को रद्द करने की स्वीकृति जिला दण्डाधिकारी, खगडिया द्वारा दिनांक 15.01.2018 को संचिका सं०-IV-22/2017 के टिप्पणी पृष्ठ सं०-38 पर प्रदान की गई है।

अतः उक्त के आलोक में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत उपर्युक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि कॉलम 5 में अंकित स्थान पर संबंधित शस्त्र को जमा करेंगे।

६०

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगडिया।

- ज्ञापांक IV-22/2017..... 64 / जी०, दिनांक..... 18.01.2018
- प्रतिलिपि : सभी संबंधित आवेदक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को रद्द करने के लिए कार्यालय में जमा करें।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, खगडिया नगर/गोगरी/बेलदौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित शस्त्र को मालखाना में जमा कर सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : डीलक्स आर्म्स कॉ० आर्म्स एण्ड अनुमोशन डीलर, विश्वनाथगंज, शिवाला रोड, खगडिया को सूचनार्थ। उन्हें आदेश दिया जाता है कि क्रमांक (2) में अंकित श्री प्रहलाद लाल के उचित पहचान पर शस्त्र को वापस करेंगे तथा क्रमांक (6) के शस्त्र को जमा लेते हुए सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगडिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, खगडिया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगडिया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगडिया।